मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12/04/2022

क्रमांक 692 /3470/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1619/3103/ 2021/38/1, दिनांक 31.08.2021 के सरल क्रमांक 08 पर अंकित डॉ. आर.के. यादव, सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम किया गया।

2/ उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ. यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि उनकी पत्नि को किडनी का कैंसर होने के कारण एक किडनी ऑपरेशन के माध्यम से निकालनी पड़ी है, एक किडनी के रहते प्रतिमाह जांच करवाना आवश्यक होता है तथा पुत्री की 18 वर्ष की उम्र में असामायिक मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें एवं उनकी पत्नि को परिवार की आवश्यकता होती है।

3/ उपरोक्त वर्णित स्थिति अनुसार डॉ. आर.के. यादव, सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 31.08.2021 द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन में पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
12.04.22
(संघमित्रा गौतम)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा.693 /3470/2021/38/1
भोपाल, दिनांक 12/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,
3. प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन,
4. प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम
5. संबंधित डॉ. आर.के. यादव, सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शास. कन्या महाविद्यालय, रतलाम
6. गार्ड फाईल,

12-4-22
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग